रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 192] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 27, 1971/कार्तिक 5, 1893

No. 192] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 1971/KARTIKA 5, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

FOREIGN TRAVEL TAX

New Delhi, the 27th October 1971

G.S.R. 1647.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 46 of the Finance (No. 2) Act, 1971 (32 of 1971), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts every passenger performing an international journey, who furnishes to the carrier concerned a certificate from an authorised dealer as defined in clause (ai) of section 2 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (7 of 1947), to the effect that the payment of the fare for the said journey has been made out of the funds received by such authorised dealer in India, by inward remittances in foreign exchange from abroad for the specific purpose of the said journey of the said passenger, from the whole of the foreign travel tax leviable in respect of the said journey under sub-section (1) of section 45 of the first-mentioned Act.

[No. 11/F. No. 433-TR(FTT)/71.]

B. N. SHARMA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

विदेश यात्रा कर

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1971

सा० का० नि० 1647.—वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 32) की धारा 46 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को, जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7) की धारा 2 के खण्ड (क) में, यथा परिभाषित प्राधिकृत व्यवहारी से संपृक्त वाहक को इस प्रभाव का प्रमाणपत्र देता है कि उक्त यात्रा के लिए भाड़े का संदाय उक्त यात्री की उक्त यात्रा के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए विदेश से प्राप्त विदेशी मुद्रा के आवक विप्रेषणों द्वारा भारत में ऐसे प्राधिकृत व्यवहारी को प्राप्त निधि में से किया गया है, प्रथम उल्लिखित अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन उक्त यात्रा के बारे में उग्रहणीय संपूर्ण विदेश यात्रा कर से एतद्द्वारा छूट देती है।

[पं० 11/का० सं० 433—या (वि० या० क०)/71]

बी० एन० शर्मा, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971